कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उ0प्र0।

परिपत्रांकः सी-21/कृषि निवेश/बी–61 दिनांक :: लखनऊ :: 18 मई, 2016

1. समस्त सहायक आयुक्त एंव सहायक निबन्धक
   सहकारिता उ0प्र0,
2. समस्त सचिव/महाप्रबन्धक
   जिला सहकारी बैंक लि0,
3. समस्त जिला प्रबन्धक
   पी0सी0एफ0, उ0प्र0।

विषय–सहकारी समितियों के माध्यम से कृभको तरल जैव उर्वरक, जिंक की आपूर्ति एंव बिकी दरों के सम्बन्ध में।

वरिष्ठ राज्य प्रबन्धक विपणन कृभको, लखनऊ ने अपने पत्रांक 1846/दिनांक 11.05.2016 द्वारा अवगत कराया गया है कि कृभको उत्पादित तरल जैव उर्वरक, एंव कृभको जिंक के आपूर्ति दरों में संशोधन कर कमी की गयी है तथा सहकारी समितियों के माध्यम से बिकी करने हेतु दरें जारी करने का अनुरोध किया गया है। उक्त के कम में सहकारी समितियों के माध्यम से आपूर्ति एंव बिकी दरें निम्नानुसार जारी की जाती है :–

क.	उत्पाद	पैकिंग मात्रा	सहकारी समितियों को आपूर्ति दरें (रू0 में)	कृषकों को फुटकर बिकी दरें (रू0 में)
1	कृभको तरल जैव उर्वरक (एजोटोबैक्टर, असीटोबैक्टर, पीएसबी, अजोस्पीरिलम पोटाश, जिंक, एनपीके 1 एंव 2)	½ लीटर	70.00	100.00
		01 लीटर	140.00	195.00
2	कृभको जिंक 33 %	05 किग्रा	242.50	260.00
		04 किग्रा	195.20	209.20
		01 किग्रा	50.00	54.00
3	कृभको जिंक 21 %	10 किग्रा	271.00	296.00
		05 किग्रा	140.00	152.50
		01 किग्रा	29.60	32.00

कृभको द्वारा समितियों को आपूर्ति एफ0ओ0आर0 आधार पर की जायेगी। इसके लिए परिवहन मद में समिति/राज्य सरकार द्वारा कोई व्यय वहन नहीं किया जायेगा। उक्त उत्पादों की आपूर्ति एंव वितरण हेतु समितियों /कृषकों को बाध्य नहीं किया जायेगा। यूरिया एंव फॉस्फेंटिक उर्वरकों के साथ उक्त उर्वरकों की टैगिंग नहीं की जायेगी।

(किशन सिंह अटोरिया)
आयुक्त एंव निबन्धक
सहकारिता उ0प्र0,
लखनऊ।

परिपत्रांक स्नी– 21 /कृषि निवेश/बी–61 दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उप महाप्रबन्धक (विपणन) कृभको , लखनऊ।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, पीसीएफ, उ०प्र० ।
3. समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप आयुक्त एंव संयुक्त/उप निबन्धक, सहकारिता उत्तर प्रदेश।
4. अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, (कम्प्यूटर/वेब मास्टर) सहकारिता, उ०प्र०, मुख्यालय को इमेल एंव वेब साईट में अपलोड कराने हेतु ।
5. प्रबन्ध निदेशक पी0सी0एफ0 , लखनऊ।
6. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0।
9. प्रमुख सचिव, सहकारिता, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
10. प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

आयुक्त एंव निबन्धक
सहकारिता उ0प्र0,
लखनऊ।